

22-11-21

Form No-111

फॉर्म अहकाम (नियम 26)

अज अदालत

उपखण्ड अधिकारी

मुकदमा

रायसिंहनगर

बन्नाम बड़ी प्रसाद

सरकार

नम्बर 367 सन् 2021

किस्म मुकदमा 136 एल आर एक्ट

जी.सी.एम.एस. आईडी 2021/

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी किए
08.11.2021	<p>तहसीलदार भू.अ./नायब तहसीलदार <u>समैजाकोटी</u> रायसिंहनगर के पत्राक/भू.अ./प्र.गां.सं.अ./2021/क.22 दिनांक <u>08.11.2021</u> के द्वारा प्रशासन गांवों के सीमा अभियान-2021 कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत <u>समैजाकोटी</u> में प्रार्थी के नाम चक <u>18 PTD A</u> की जमाबंदी सम्बत <u>2016-79</u> के खाता सं. <u>31</u> में <u>बड़ी प्रसाद</u> <u>श्री शोपतराज</u> जाति जाट <u>श्री सावतसर</u> के स्थान पर <u>बड़ी प्रसाद</u> <u>श्री शोपतराज</u> जाति जाट <u>नो 18 PTD A</u> की दुरुस्ती किये जाने की अनुशंसा की गयी है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। मजमा-ए-आम कैम्प कोर्ट में तहसीलदार/नायब तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार दुरुस्ती किए जाने पर किसी व्यक्ति द्वारा कोई आपत्ति जाहिर नहीं की गयी है। अतः तहसीलदार/नायब तहसीलदार <u>समैजाकोटी</u> रायसिंहनगर की अनुशंसा के आधार पर वाके चक <u>18 PTD A</u> तहसील रायसिंहनगर की जमाबंदी सम्बत <u>2016-79</u> के खाता सं. <u>31</u> में <u>बड़ी प्रसाद</u> <u>श्री शोपतराज</u> जाति जाट <u>श्री सावतसर</u> के स्थान पर <u>बड़ी प्रसाद</u> <u>श्री शोपतराज</u> जाति जाट <u>नो 18 PTD A</u> की दुरुस्ती करने के आदेश दिए जाते हैं। शर्त अफन बदरान रहमा। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। इसी आशय का आदेश तहसीलदार रायसिंहनगर के नाम जारी हो। पत्रावली फॉसले में शुमार होकर दाखिल दफतर हो। आदेश मजमा-ए-आम में सुनाया गया।</p>	

(अर्पिता सोनी)  
उपखण्ड अधिकारी  
रायसिंहनगर

कैम्प-मुकदमा कोर्ट

